रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-72 REGISTERED No. D (D.L.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 485] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अक्तूबर 10, 1985/आश्विन 18, 1907
No. 485] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 10, 1985/ASVINA 18, 1907

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, 1985

का आ 737(अ) —केन्द्रीय सरकार प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 5 की उपधारा (2) के अनुसरण में, उस उपधारा में निर्दिष्ट समिति द्वारा अनुशंसित किए जाने पर भारतीय प्रेस परिषद् के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट न्यायमूर्ति श्री ए एन सेन भारत के उच्चतम न्यायालय का सेवा निवृत्त न्यायधीश, के नामनिर्देशन को अधिसूचित करती है ।

[फाइल सं. 4/12/85-प्रेस]
के. एस. वैदवान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 1985

S.O. 737(E).—In pursuance of Sub-Section (2) of Section 5 of the Press Council Act, 1978 (37 of 1978), the Central Government hereby notifies the nomination of Shri Justice A. N. Sen, retired judge of the Supreme Court of India, as Chairman of the Press Council of India on his being nominated by the Committee referred to in that sub-section.

[F. No. 4|12|85-Press]

K. S. BAIDWAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1985